संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2022**

विषय:- विभागों द्वारा उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान।

महोदय,

ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली के बिलों का प्रायः समय से भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके कारण विद्युत वितरण कम्पनियों का राजस्व संग्रह प्रभावित होता है, जिससे उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन/विद्युत वितरण कपनियों द्वारा विद्युत उत्पादकों से क्रय की गयी बिजली के मूल्य की ससमय अदायगी में कठिनाई होती है। राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिये क्रय की जाने वाली बिजली के मूल्य का भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों/उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय के अन्दर करना होता है ताकि प्रदेश में बिजली की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे।

2- उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत ऊर्जा विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न विभागो द्वारा विद्युत देयों का भुगतान केन्द्रीयकृत रूप में उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करायी जाये।

..2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त, निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है: -

(1) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विभिन्न विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत मानक मद "09-विद्युत देय" में प्रावधानित धनराशि के 50 प्रतिशत का भुगतान अप्रैल-सितम्बर माह की अवधि हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा विलम्बतम् दिनाक 15 मई, 2022 तक सीधे उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किया जायेगा ।

(2) विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त मानक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि कोई धनराशि आवंटित कर दी गयी हो तथा उसका व्यय न हुआ हो तो उसे पुनर्विनियोग द्वारा विभागाध्यक्ष के अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद में अन्तरित करा लिया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्षों द्वारा संबंधित कोषागार में उपरोक्तानुसार धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त भुगतान ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक (IFS Code : ICIC0006281) में खुले खाता संख्या-628105501316 में किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को तथा ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रैल-जून अवधि के विभागवार सत्यापित विद्युत बिल ऊर्जा विभाग एवं विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) अप्रैल-जून तक के सत्यापित बिलों की राशि अथवा बजट में व्यवस्थित धनराशि का एक चौथाई अंश, दोनों मे से जो कम हो, के बराबर धनराशि अक्टूबर-दिसम्बर की अवधि हेतु माह अक्टूबर में विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तर (3) एवं (4) के अनुसार आहरित कर उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) इसी क्रम में, जुलाई-सितम्बर तक की अवधि के सत्यापित बिल प्रस्तुत कर दिये जाने पर उपर्युक्त प्रस्तर (7) के अनुसार जनवरी-मार्च की अवधि के लिये धनराशि माह जनवरी में विभागाध्यक्षों द्वारा आहरित कर उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

..3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) माह मार्च में अक्टूबर-दिसम्बर तक की अवधि के बिल प्रस्तुत कर दिये जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष के बजट मे विभागीय अनुदान में मानक मद "09-विद्युत देय" में प्रावधानित धनराशि के 25 प्रतिशत का भुगतान आगामी वित्त वर्ष के माह अप्रैल-जून की अवधि हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा विलम्बतम् दिनाक 15 अप्रैल तक सीधे उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किया जायेगा ।

(10) आगामी वित्तीय वर्ष के माह जुलाई में गत वित्तीय वर्ष के माह जनवरी-मार्च की अवधि के बिल प्रस्तुत कर दिये जाने पर जुलाई-सितम्बर तक की अवधि हेतु मानक मद "09-विद्युत देय" में प्रावधानित धनराशि के 25 प्रतिशत का भुगतान हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा उपर्युक्त प्रकिया अनुसार उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किया जायेगा ।

(11) इसी क्रमानुसार आगे की अवधि हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त मद में धनराशि का भुगतान उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को किया जाता रहेगा।

(12) वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप-1 तथा प्रारूप-2 पर विवरण, ऊर्जा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) उपरोक्त प्रस्तर (1) से (12) तक के अनुसार कार्यवाही अगले अन्यथा आदेशों तक जारी रखी जायेगी।

(14) यदि सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग तथा ऊर्जा विभाग को यह समाधान हो जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष के बजट में विभागीय अनुदान की मानक मद "09-विद्युत देय" में करायी गई व्यवस्था उस विभाग के कार्यालयों द्वारा उपभोग की गयी बिजली के मूल्य के सापेक्ष कम है, तो यथास्थिति सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अनुपूरक माँगों अथवा आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक प्रस्तावों के माध्यम से समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी।

4- इन आदेशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

<u>संलग्नक: प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2</u>

भवदीया,

(एस0 राधा चौहान)
अपर मुख्य सचिव।

..4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/ पश्चिमांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ केस्को, कानपुर।
(3) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विशेष सचिव।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
(9) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियन्त्रण अनुभाग।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1/2022/ई-10-162757 /दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022

का संलग्नक

(प्रारूप-1)

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सरकारी विभागों से विद्युत देयों के सापेक्ष तथा विद्युत वितरण निगमों को भुगतानित धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	यू0पी0 पी0सी0 एल0												
2	डिस्कॉमवार शासकीय विभागों के विद्युत देयों के सापेक्ष समायोजन का दिनांक												
(1)	मध्यांचल वि0वि0 निगम												
(2)	पूर्वांचल वि0वि0 निगम												
(3)	पश्चिमांचल वि0वि0 निगम												
(4)	दक्षिणांचल वि0वि0 निगम												
	योग (1) से (4)												

हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022

का संलग्नक

(प्रारूप-2)

विभागवार निर्गत बिलों के सापेक्ष भुगतान का विवरण

वित्तीय वर्ष .....

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विभाग	निर्गत बिलों की राशि	सत्यापित राशि	विभाग द्वारा किया गया भुगतान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	योग			

हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।